## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ( राज. )

अनवान - मनजीत कौर बनाम जोगेन्द्र कौर व अन्य

किस्म मुकदमा :- 88,53,209 RTA प्रकरण सं. :- 10/2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/04/25 | पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा.पत्र हेतु पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाकर वाद पत्र निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।<br><br>निर्णय सुनाया गया<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ (राज.) | GCMS<br>2018/00021 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

**वाद संख्याः– 18/2018** **दायरा दिनांकः– 19.01.2018**

**–: अनवान :–**

मनजीतकौर उर्फ काडो पुत्री जोगेन्द्रकौर बेवा पालसिंह जाति मजबी निवासी 2 जे.डी. डब्ल्यू. हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

**....वादीया**

**बनाम**

1. जोगेन्द्रकौर पत्नी पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. गुड्डी उर्फ बलदेवकौर पत्नी सरजीतसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. गिन्द्रकौर उर्फ मलकीतकौर पत्नी मुख्त्यारसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी चक 2 जी.बी.ए (हिन्दो) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. महेन्द्रकौर पत्नी बूटासिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
5. राजकौर उर्फ मनजीतकौर पत्नी मन्दरसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी चक 2 जी.बी.ए (हिन्दो) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. तेजो(मृतक) पत्नी बलवीरसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह
   - 6/1. वीरां पत्नी जगसीरसिंह
   - 6/2. निक्की पत्नी मेवासिंह
   - 6/3. इकबालसिंह
   - 6/4. पम्पी पत्नी मेजरसिंह

   } पुत्र/पुत्रीयान तेजो पत्नी बलवीरसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह अकवाम मजहबी निवासी चक 63 तहसील श्रीविजयनगर।
7. नत्थासिंह(मृतक) पुत्र पालसिंह उर्फ पालसिंह
   - 7/1. प्रकाशकौर पत्नी नत्थासिंह जाति मजहबी निवासी भैरूपुरा उर्फ सिलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
   - 7/2. गुरविन्द्रकौर पुत्री नत्थासिंह पत्नी जलन्धरसिंह जाति मजहबी निवासी 7 वाली आबादी(खरलिया) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.।
   - 7/3. पलविन्द्रकौर पुत्री नत्थासिंह पत्नी सरजीतसिंह जाति मजहबी निवासी चक 13 एम.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 7/4. जसविन्द्रकौर पुत्री नत्थासिंह पत्नी ..................... जाति मजहबी निवासी भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
   - 7/5. कृष्णसिंह
   - 7/6. जगरूपसिंह

   } पि. नत्था[illegible]बी निवासी भैरूपुरा उर्फ सीलवा[illegible] [illegible]रतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
8. उप–पंजीयक, सू[illegible]
9. शाखा प्रबन्धक, इ[illegible]
10. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
11. कमलकुमार कालवा पुत्र ओमप्रकाश क[illegible]ा जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 25 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

**.....प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः— 18/2018)

**निर्णय प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी**
**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थितः—
1. श्री जसवीरसिंह बराड़, अधिवक्ता, वादीया
2. श्री अजय अरोड़ा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 2
3. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 11
4. पैरोकार राज सूरतगढ़।

— :: निर्णय ::—

दिनांकः— 29.04.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीया ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया के पिता पालसिंह पुत्र अरजनसिंह जाति मजबीसिख के नाम से रोही सिलवानी के खसरा नम्बर 266 में 23.00 बीघा व खसरा नम्बर 292 में 27.00 बीघा बारानी भूमि बतौर टी.सी. आवंटनशुदा थी जिसका संवंत 2042 तक नवीनीकरण वादीया के पिता के नाम से व वादीया के पिता की मृत्यु उपरान्त वादीया की माता के नाम से होता रहा। जैरवाद भूमि चकबन्दी में पैमूद हुई व चक 14 एस.एल.डी. ए तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2061 के खाता संख्या 14 के पत्थर नम्बर 75/386(18) के किला नम्बर 23 ता 25 = 0.684 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 74/386(19) के किला नम्बर 21 ता 24 = 0.886 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 73/387(24) के किला नम्बर 20—21 = 0.506 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 74/387(25) के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 16, 17 = 3.467 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 75/387(26) के किला नम्बर 4 ता 7 = 1.012 हैक्टेयर कुल 6.555 हैक्टेयर(6.329 हैक्टेयर कमाण्ड व 0.226 हैक्टेयर खाला) भूमि वादीया की माता प्रतिवादीया संख्या 1 श्रीमती जोगेन्द्रकौर बेवा पालसिंह मजबी सा. दे हके नाम से बतौर खातेदार दर्ज हुई जो वर्तमान में चली आ रही हैं। उक्त जैरवाद भूमि में वादीया 1/8 हिस्सा की बतौर वारिस पालसिंह हिन्दू उताराधिकार अधिनियम के तहत कानूनन अधिकारी हैं जो घोषित की जावे तथा बाद में खाता विभाजन किया जावे। उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा शेष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उक्त वाद पत्र में प्रार्थी कमल कुमार कालवा पुत्र ओमप्रकाश कालवा द्वारा दिनांक 27.08.2018 को प्रार्थना [illegible] नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 10.03.2021 को स्वी[illegible] जाकर प्रार्थी कमल कुमार कालवा को वाद पत्र में बतौर प्रति[illegible] बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा उक्त वाद पत्र में अपना जवाबदावा [illegible] प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2022 को प्रस्तुत करने के उपरान्त बार बार अवसर जवाब हेतु देने [illegible] भी वादीया द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 06.04.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया तथा बहस हेतु पत्रावली रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:39:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 18/2018)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 11 कमल कुमार कालवा के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया हुआ हैं चूंकि वाद पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को जैरवाद भूमि में से चक 14 एस. एल.डी. ए के पत्थर नम्बर 73/387 के किला नम्बर 20–21 की 0.506 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 74/387 के किला नम्बर 7 ता 9, 10, 11, 12 ता 14, 16, 17 का 2.480 हैक्टेयर कुल तादादी 2.986 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि प्रतिवादी न. 1 के नाम नहीं होकर मुझ प्रतिवादी न. 11 की खातेदारी खरीदशुदा भूमि थी। प्रतिवादी न. 1 का इस भूमि में कोई हक नहीं होने से वादीया इस भूमि में किसी प्रकार का हक पाने की हकदार नहीं हैं। जैरवाद भूमि प्रतिवादी न. 1 जोगेन्द्रकौर को पुख्ता आंवटित भूमि थी इसलिए जोगेन्द्रकौर जैरवाद भूमि की स्वंय मालिक होने से अपने नाम की उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने के लिए स्वतन्त्र थी तथा वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही मुझ प्रतिवादी न. 11 के हक में बैयनामा दिनांक 12.01.2018 को ही निष्पादित करवा देने से प्रतिवादीया न. 1 वाद पत्र प्रस्तुत करने के दिन 2.986 हैक्टेयर भूमि की खातेदार ही नहीं थी। प्रतिवादीया न. 1 महिला होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति का सिद्धान्त लागू नहीं होने से भी वाद पत्र विधि विरूद्ध हैं। वाद पत्र में वाद कारण भी झुठा दर्ज करवाया गया हैं, वाद पत्र की मद संख्या 7 में यह दर्शाया गया कि बमुकाम सीलवानी में प्रतिवादीया न. 1 कतई इन्कार हो गई, जबकि वादीया द्वारा स्वंय अपने वाद पत्र में प्रतिवादीया न. 1 का पता रांयावाली लिख रखा है इसलि जब प्रतिवादीया न. 1 सीलवानी में निवास ही नहीं कर रही तो सीलवानी में इन्कार होने की बात झूठी साबित होती हैं। प्रतिवादी न. 11 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से जैरवाद भूमि खरीदशुदा हैं व रजिस्टर्ड बैयनामा को निरस्त करने अथवा उस पर सुनवायी करने का अधिकार क्षेत्र सीविल न्यायालय को प्राप्त है, इसलिए भी वाद पत्र चलने योग्य नहीं हैं। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत नहीं किया हैं इसलिए भी वाद पत्र निरस्त होने योग्य हैं। इसलिए वाद पत्र विधि विरूद्ध होने, वाद कारण का अभाव होने तथा वाद पत्र सिविल प्रकृति का होने व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण निरस्त किया जावे।

वादीया के अभिभाषक ने निवेदन किया कि वाद पत्र वादीया विधि विरूद्ध नहीं है तथा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी न. 11 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो, दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार जैरवाद भूमि प्रतिवादीया न. 1 जोगेन्द्र कौर के नाम से पुख्ता आवंटित हैं, पुख्ता आवंटन पट्टा दिनांक 08.01.1990 को आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा जारी हैं। जिससे साबित होता हैं कि जैरवाद भूमि प्रतिवादीया न. 1 की स्वयं अर्जित सम्पति हैं न कि पैतृक सम्पति। इसी प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी न. 11 का यह तर्क भी मानने योग्य हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पैतृक सम्पति का सिद्धान्त एक महिला पर लागू नहीं होता हैं। वादीया ने अपना वाद कारण भी स्पष्ट नहीं किया हैं चूंकि वादीया द्वारा वाद का कारण सीलवानी में पैदा होना दर्शाया हैं जबकि प्रतिवादीया न. 1 सीलवानी में रहती ही नहीं है, वादीया स्वंय अपने वाद पत्र के शीर्षक में लिखकर आ रही हैं कि प्रतिवादीया न. 1 रायांवाली में निवास कर रही है तथा प्रतिवादीया न. 1 के अभिभाषक द्वारा भी उसका पता ग्राम रायांवाली ही लिखा है। इसलिए वाद पत्र में वाद हेतुक प्रकट नहीं होता हैं। वादीया के अभिभाषक द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः— 18 / 2018)

प्रतिवादी न. 11 के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से संबंधित एतराजों का लिखित जवाब भी नहीं दिया हैं, ना ही कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। वाद पत्र के तथ्यों से भी वाद पत्र विधि विरूद्ध प्रकट होता हैं। वादीया द्वारा अपने आप को पालसिंह की वारिस होने के आधार पर सम्पति में दावा किया हैं जबकि जैरवाद भूमि पालसिंह के नाम से नहीं है तथा ना ही पालसिंह से विरासतन प्रतिवादीया न. 1 जोगेन्द्रकौर को प्राप्त हुई हैं। वादीया स्वंय द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश 08.01.1990 की प्रमाणित प्रति अनुसार जैरवाद भूमि प्रतिवादीया न. 1 जोगेन्द्रकौर को पुख्ता आवंटन होनी साबित होती हैं। इस प्रकार प्रतिवादीया न. 1 को जैरवाद भूमि ना तो पैतृक हैं और ना ही विरासतन प्राप्त हुई हैं तो वादीया का हक किस प्रकार पैदा हुआ हैं यह वादीया साबित नहीं कर पायी हैं। इसलिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो के तहत वाद पत्र चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः वाद पत्र वादीया आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की उपमद (क) व (घ) अनुसार चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता हैं। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

**–:: परचा डिक्री ::–**

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

**–: अनवान :–**

मनजीतकौर उर्फ काडो पुत्री जोगेन्द्रकौर बेवा पालसिंह जाति मजबी निवासी 2 जे.डी. डब्ल्यू. हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

**....वादीया**

**बनाम**

1. जोगेन्द्रकौर पत्नी पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. गुड्डी उर्फ बलदेवकौर पत्नी सरजीतसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. गिन्द्रकौर उर्फ मलकीतकौर पत्नी मुख्त्यारसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी चक 2 जी.बी.ए (हिन्दो) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. महेन्द्रकौर पत्नी बूटासिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
5. राजकौर उर्फ मनजीतकौर पत्नी मन्दरसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह जाति मजहबी निवासी चक 2 जी.बी.ए (हिन्दो) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. तेजो(मृतक) पत्नी बलवीरसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह
   - 6/1. वीरां पत्नी जगसीरसिंह
   - 6/2. निक्की पत्नी मेवासिंह
   - 6/3. इकबालसिंह
   - 6/4. पम्पी पत्नी मेजरसिंह

   } पुत्र/पुत्रीयान तेजो पत्नी बलवीरसिंह पुत्री पालसिंह उर्फ पालासिंह अकवाम मजहबी निवासी चक 63 तहसील श्रीविजयनगर।
7. नत्थासिंह(मृतक) पुत्र पालसिंह उर्फ पालसिंह
   - 7/1. प्रकाशकौर पत्नी नत्थासिंह जाति मजहबी निवासी भैरूपुरा उर्फ सिलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
   - 7/2. गुरविन्द्रकौर पुत्री नत्थासिंह पत्नी जलन्धरसिंह जाति मजहबी निवासी 7 वाली आबादी(खरलिया) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.।
   - 7/3. पलविन्द्रकौर पुत्री नत्थासिंह पत्नी सरजीतसिंह जाति मजहबी निवासी चक 13 एम.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 7/4. जसविन्द्रकौर पुत्री नत्थासिंह पत्नी .................... जाति मजहबी निवासी भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
   - 7/5. कृष्णसिंह
   - 7/6. जगरूपसिंह

   } पि. नत्थासिंह अकवाम मजहबी निवासी भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
8. उप–पंजीयक, सूरतगढ़
9. शाखा प्रबन्धक, [illegible] बैंक शाखा [illegible]
10. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
11. कमलकुमार कालवा पुत्र ओमप्रकाश कालवा जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 25 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

**.....प्रतिवादीगण**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 18 वर्ष 2018 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीया श्री जसवीर सिंह बराड़ व वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2 श्री अजय कुमार अरोड़ो व वकील प्रतिवादी संख्या 11 श्री भागीरथ बिश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

**वाद पत्र वादीया आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की उपमद (क) व (घ) अनुसार चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता हैं।**

नोज.......... × .......... मुबलिग.........× ......... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × ......... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28.04.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested